



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

शासिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 355]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 30, 2008/असाधा 9, 1930

No. 355]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 30, 2008/ASADHA 9, 1930

विद्युत् मंत्रालय

अभिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 2008

सा.का.नि. 486(अ).—केन्द्रीय सरकार ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खण्ड (ट) के खण्ड पठित धारा 56 की उप-धारा (2) के खण्ड (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा संरक्षण (प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षक की सिफारिश पर खपत की गई ऊर्जा और की गई कार्रवाई के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्रारंभ और रीति तथा समय) नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - (1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "अधिनियम" से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 अभिप्रेत है ;

(ख) "प्रारंभ" से नियम 3 में विनिर्दिष्ट प्रारंभ अभिप्रेत है ;

(ग) "द्वय" से 1 अप्रैल से आरंभ होने वाली और 31 मार्च को समाप्त होने वाली अनुवर्ती वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है ;

(घ) उन शब्दों और पदों के जो इनमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ हैं जो अधिनियम में हैं।

3. प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षक प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षक की सिफारिश पर खपत की गई ऊर्जा और की गई कार्रवाई के संबंध में अभिलिखित उपबोक्तियों द्वारा सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्रारंभ और समय सीमा- (1) प्रत्येक अभिलिखित उपबोक्ता प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षक द्वारा ऊर्जा

संपरीक्षा रिपोर्ट के प्रस्तुत करने के तीन मास के भीतर इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में और हार्ड प्रति में अभिहित अधिकरण को निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करेगा,-

- (क) उस वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान जिसके लिए प्ररूप 1 में प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षक द्वारा यथा सत्यापित ऊर्जा संपरीक्षा की गई थी खपत की गई ऊर्जा के संबंध में सूचना के ब्यारे ;
- (ख) प्ररूप 1 में खंड (क) में निर्दिष्ट अवधि के लिए उत्पादवार विशिष्ट ऊर्जा खपत के ब्यारे ;
- (ग) अधिनियम के अधीन प्ररूप 2 में प्रस्तुत की गई ऊर्जा संपरीक्षा रिपोर्ट में प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षक द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के ब्यारे ;

(2) प्रत्येक अभिहित उपभोक्ता अभिहित अधिकरण को प्रत्येक वर्ष नियम 3 के उपनियम (1) के खंड (ग) के अनुसार उसके द्वारा की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप हुई प्रगति के ब्यारे कार्यान्वित किए गए ऊर्जा दक्षता सुधार उपायों के ब्यारे सहित उस वर्ष के अंत के तीन मास के भीतर प्ररूप 3 में अभिप्राप्त परिणामिक बचतों संबंधी प्रगति के ब्यारे प्रस्तुत करेगा ।

4. सूचना प्रस्तुत करने की रीति- (1) प्रत्येक अभिहित उपभोक्ता अभिहित अधिकरण को अधिसूचना संख्यांक का.आ. 318 (अ) तारीख 2 मार्च, 2007 के निबंधनों के अनुसार नियुक्त या अभिहित उसके ऊर्जा प्रबंधक द्वारा उसे अधिप्रमाणित कराने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष नियम 3 के अधीन सूचना प्रस्तुत करेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन सूचना निश्चित रूप से प्रत्यायित ऊर्जा संपरीक्षक की उर्जा संपरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार होगी ।

[फा सं. 10/15/07-ईसी]

देवेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

## प्रकरण 1

उत्पादन-कार संचालित अंशकों पर अनुसूचित क्षमता की गई क्षमता और विनिर्दिष्ट क्षमता उपयोग के अंशों  
[नियम 3(1)(ख) और (ग) देखें]

1	युनिट का नाम					
2	सेक्टर जिसमें युनिट आती है (उपबंध 1 विनिर्दिष्ट करें)					
3(क)	युनिट के स्थान का मोबाइल, टेलीफोन, फैक्स नं. और ई-मेल सहित पूरा पता (मुख्य कार्यकारी का नाम और पदनाम सहित)					
(ख)	स्थापना का वर्ष					
4	टेलीफोन, फैक्स सं. और ई-मेल सहित सजिस्ट्रकृत कार्यालय का पता					
5	ऊर्जा प्रबंधक का नाम, पदनाम, पता, मोबाइल, टेलीफोन, फैक्स नं. और ई-मेल					
6	उत्पादन और क्षमता उपयोग के स्तर					
वर्ष	मुख्य उत्पाद	युनिट (कुपक्ष विनिर्दिष्ट करें)	संस्थापित क्षमता (क)	वार्षिक उत्पादन (ख)	% क्षमता उपयोग (ख/क) x 100	विनिर्दिष्ट क्षमता क्षमता
	उत्पाद 1					
	उत्पाद 2					
	अन्य उत्पाद					
200-						
200						

						वर्ष 200 - 200
7.0	ऊर्जा क्षमता और लागत					
7.1	विद्युत क्षमता और लागत					
(क)	क्षमता की गई विद्युत					
(i)	युनिट (मिलियन किलोवॉट/वर्ष)					
(ii)	कुल लागत (मिलियन ₹/वर्ष)					
(iii)	संबंध से सम्बद्ध भार (कि वा)					
(iv)	उपयोग सहित संविदा मांग (केटीए)					
(v)	सम्बद्ध भार (कि.वा.)					
(ख)	अपना उत्पादन					
(क)	क्षमता उत्पादन सेट के माध्यम से					
(i)	वार्षिक उत्पादन (मिलियन किलोवॉट/वर्ष)					
(ii)	कुल लागत (मिलियन/वर्ष)					
(iii)	उपयोग	किए	गए	ईधन		
	(एलएससी/एलसीओ/एलएसएडएस/एलएसएफओ (उपबंध-2 विनिर्दिष्ट करें)					
(iv)	सकल कैलोरीयिक मूल्य (कि.किलो/कि.ग्रा.)					
(v)	वार्षिक ईंधन उपयोग (टन)					
(vi)	कुल वार्षिक ईंधन लागत (दस लाख रुपये)					

		वर्ष 200 - 200
(ख)	भाप टरबाइन/जनित्र के माध्यम से	
(i)	वार्षिक उत्पादन (मिलियन कॅव्यूएच/वर्ष)	
(ii)	उपयोग किए गए ईंधन, बताएं किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया गया था (सी=कोयला, बी=बायोमार्स, ई=विद्युत)। यदि कोयला उपयोग किया गया है तो बताएं किस ग्रेड का जोकि सी/आई-आयातित या सी/आई=एफ ग्रेड का कोयला	
(ग)	गैस टरबाइन के माध्यम	
(i)	वार्षिक उत्पादन (दस लाख कॅव्यूएच/वर्ष)	
(ii)	उपयोग किए गए ईंधन (बताएं किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया गया था (प्राकृति गैस (एनजी), पाइपड प्राकृतिक गैस (पीएनजी), संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी), नाथपा)	
(iii)	सकल कैलोरीफिक मूल्य (किकैल/एससीएम)	
(iv)	वार्षिक ईंधन उपभोग	
(v)	कुल वार्षिक ईंधन लागत (दस लाख रुपए)	
(ग)	कुल विद्युत का उत्पादन (दस लाख कॅव्यूएच/वर्ष) 7.1 (ख) [ क(i) + ख(i) + ग(i) ]	
(घ)	ग्रिड/अन्य को प्रदाय की गई विद्युत (विनिर्दिष्ट करें दस लाख कॅव्यूएच/वर्ष)	
(ङ)	कुल उपभोग की गई विद्युत (दस लाख कॅव्यूएच/वर्ष) 7.1 [ क(i) + ख- ग ]	
7.2	उपभोग किया गया ईंधन और प्रसंस्करण उष्मन के लिए लागत %	
(क)	कोयला	
(i)	सकल कैलोरीफिक मूल्य (कैकैल/कि.ग्रा.)	
(ii)	क्रय की गई मात्रा (टन/वर्ष)	
(iii)	विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग की गई मात्रा (टन/वर्ष)	
(iv)	कच्चे माल के रूप में उपयोग की गई मात्रा, यदि कोई हो (टन/वर्ष)	
(v)	प्रसंस्करण उष्मन के लिए उपयोग की गई मात्रा (टन/वर्ष)	
(vi)	प्रसंस्करण के कुल कोयला लागत (दस लाख रु./वर्ष)	
(ख)	लिंगनाइट	
(i)	सकल कैलोरीफिक मूल्य (कैकैल/कि.ग्रा.)	
(ii)	क्रय की गई मात्रा (टन/वर्ष)	
(iii)	विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग की गई मात्रा (टन/वर्ष)	
(iv)	कच्चे माल के रूप में उपयोग की गई मात्रा, यदि कोई हो (टन/वर्ष)	
(v)	प्रसंस्करण उष्मन के लिए उपयोग की गई मात्रा (टन/वर्ष)	
(vi)	प्रसंस्करण के कुल लिंगनाइट लागत (दस लाख रु./वर्ष)	

		वर्ष 200 - 200
(ग)	जायो मास अन्य क्रय किए गए खेस ईधन (कुपटा विनिर्दिष्ट को) खोई, चावल की भूसी, इत्यादि	
(i)	अग्नि के रूप में सहमत औसत नमी	
(ii)	अग्नि के रूप में औसत सकल कैलोरीफिक मूल्य (केकैल/कि.ग्रा.)	
(iii)	क्रय की गई मात्रा (टन/वर्ष)	
(iv)	कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग की गई मात्रा यदि कोई हो, (टन/वर्ष)	
(v)	प्रसंस्करण उष्मन के लिए उपयोग की गई मात्रा (टन/वर्ष)	
(vi)	प्रसंस्करण के लिए कुल खोई की लागत (दस लाख रु./वर्ष)	
7.3	द्रव	
(क)	भट्टी तेल (एफ ओ)	
(i)	सकल कैलोरीफिक मूल्य (केकैल/कि.ग्रा.)	
(ii)	क्रय की गई मात्रा (केएल/वर्ष)	
(iii)	विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग की गई मात्रा (केएल/वर्ष)	
(iv)	कच्चे माल के रूप में उपयोग की गई मात्रा, यदि कोई हो, (केएल/वर्ष)	
(v)	प्रसंस्करण उष्मन के लिए उपयोग की गई मात्रा (केएल/वर्ष)	
(vi)	प्रसंस्करण उष्मन के लिए कुल भट्टी तेल की लागत (दस लाख रु./वर्ष)	
(ख)	निम्न सल्फर भारी स्टॉक (एलएसएचएस)	
(i)	सकल कैलोरीफिक मूल्य (केकैल/कि.ग्रा.)	
(ii)	क्रय की गई मात्रा (टन/वर्ष)	
(iii)	विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग की गई मात्रा (टन/वर्ष)	
(iv)	कच्चे माल के रूप में उपयोग की गई मात्रा, यदि कोई हो, (टन/वर्ष)	
(v)	प्रसंस्करण उष्मन के लिए उपयोग की गई मात्रा (टन/वर्ष)	
(vi)	प्रसंस्करण के कुल निम्न सल्फर भारी स्टॉक (एलएसएचएस) लागत (दस लाख रु./वर्ष)	
(ग)	उच्च सल्फर भारी स्टॉक (एचएसएचएस)	
(i)	सकल कैलोरीफिक मूल्य (केकैल/कि.ग्रा.)	
(ii)	क्रय की गई मात्रा (टन/वर्ष)	
(iii)	विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग की गई मात्रा (टन/वर्ष)	
(iv)	कच्चे माल के रूप में उपयोग की गई मात्रा, यदि कोई हो, (टन/वर्ष)	
(v)	प्रसंस्करण उष्मन के लिए उपयोग की गई मात्रा (टन/वर्ष)	
(vi)	प्रसंस्करण उष्मन के लिए कुल एचएसएचएस की लागत (दस लाख रु./वर्ष)	

		वर्ष 200 - 200
(ख)	डीज़ल तेल	
(क)	हाई स्पीड डीज़ल (एचएसडी)	
(i)	सकल कैलोरिफिक मूल्य (केकैल/कि.ग्रा.)	
(ii)	क्रय की गई मात्रा (केएल/वर्ष)	
(iii)	विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग की गई मात्रा (टन/वर्ष)	
(iv)	कच्चे माल के रूप में उपयोग की गई मात्रा, यदि कोई हो. (केएल/वर्ष)	
(v)	प्रसंस्करण उष्मन के लिए उपयोग की गई मात्रा (केएल/वर्ष)	
(vi)	प्रसंस्करण उष्मन के लिए कुल एचएसडी की लागत (दस लाख रु./वर्ष)	
(ख)	हल्का डीज़ल तेल (एलडीओ)	
(i)	सकल कैलोरिफिक मूल्य (केकैल/कि.ग्रा.)	
(ii)	क्रय की गई मात्रा (केएल/वर्ष)	
(iii)	विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग की गई मात्रा (केएल/वर्ष)	
(iv)	कच्चे माल के रूप में उपयोग की गई मात्रा, यदि कोई हो. (केएल/वर्ष)	
(v)	प्रसंस्करण उष्मन के लिए उपयोग की गई मात्रा (केएल/वर्ष)	
(vi)	प्रसंस्करण उष्मन के लिए कुल एलडीओ की लागत (दस लाख रु./वर्ष)	
7.4	गैस	
(क)	संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी)	
(i)	सकल कैलोरिफिक मूल्य (केकैल/एससीएम)	
(ii)	क्रय की गई मात्रा (दस लाख एससीएम/वर्ष)	
(iii)	विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग की गई मात्रा (दस लाख एससीएम /वर्ष)	
(iv)	कच्चे माल के रूप में उपयोग की गई मात्रा, यदि कोई हो. (दस लाख एससीएम /वर्ष)	
(v)	प्रसंस्करण उष्मन के लिए उपयोग की गई मात्रा (दस लाख एससीएम /वर्ष)	
(vi)	प्रसंस्करण उष्मन के लिए प्राकृतिक गैस की कुल लागत (दस लाख रु./वर्ष)	
(ख)	तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी)	
(i)	सकल कैलोरिफिक मूल्य (केकैल/एससीएम)	
(ii)	क्रय की गई मात्रा (दस लाख एससीएम/वर्ष)	
(iii)	विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग की गई मात्रा (दस लाख एससीएम /वर्ष)	
(iv)	कच्चे माल के रूप में उपयोग की गई मात्रा, यदि कोई हो (दस लाख एससीएम /वर्ष)	
(v)	प्रसंस्करण उष्मन के लिए उपयोग की गई मात्रा (दस लाख एससीएम /वर्ष)	
(vi)	प्रसंस्करण उष्मन के लिए एलपीजी की कुल लागत (दस	

	लाख रु./वर्ष)	वर्ष 200 - 200
(ग)	संयंत्र में उत्पाद/अपशिष्ट द्वारा उत्पादित गैस और ईंधन के रूप में उपयोग	
(i)	नाम	
(ii)	सकल कैलोरीयिक मूल्य (कैकैल/एससीएम)	
(iii)	विद्युत उष्मन के लिए उपयोग की गई मात्रा (दस लाख एससीएम/वर्ष)	
(iv)	विद्युत उष्मन के लिए गैस उत्पाद की कुल लागत (दस लाख रु./वर्ष)	
7.5	ठोस अपशिष्ट	
	संयंत्र में उत्पादित ठोस अपशिष्ट और ईंधन के रूप में उपयोग	
(i)	नाम	
(ii)	सकल कैलोरीयिक मूल्य (कैकैल/कि.ग्रा.)	
(iii)	प्रसंस्करण उष्मन के लिए उपयोग की गई मात्रा (टन/वर्ष)	
(iv)	प्रसंस्करण उष्मन के लिए अपगामी का कुल लागत (दस लाख रु./वर्ष)	
7.6	तरल अपशिष्ट	
	संयंत्र में उत्पादित द्रव स्रोत/ अपशिष्ट और ईंधन के रूप में उपयोग	
(i)	नाम	
(ii)	सकल कैलोरीयिक मूल्य (कैकैल/कि.ग्रा.)	
(iii)	प्रसंस्करण उष्मन के लिए उपयोग की गई मात्रा (टन/वर्ष)	
(iv)	प्रसंस्करण उष्मन के लिए द्रव स्रोत को कुल लागत (दस लाख रु./वर्ष)	
7.7	अन्य	
(i)	नाम	
(ii)	औसत सकल कैलोरीयिक मूल्य (कैकैल/कि.ग्रा.)	
(iii)	विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग की गई मात्रा. (टन/वर्ष)	
(iv)	प्रसंस्करण उष्मन के लिए उपयोग की गई मात्रा (टन/वर्ष)	
(v)	अन्य स्रोतों की वार्षिक लागत	

हस्ताक्षर

ऊर्जा प्रबंधक का नाम

कंपनी का नाम

पूरा पता

मुहर

हस्ताक्षर

प्रत्यापित ऊर्जा संपरीक्षक का नाम

प्रत्यापन ब्यारे

मुहर

उपाबंध - 1 सेक्टर का नाम

एल्युमिनियम, सीमेंट, रसायन, क्लोर एल्कली, उर्वरक, गैस क्रैकर्स, लोहा और इस्पात, नेफ्था क्रैकर्स, लुगदी और कागज, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम रिफायनरी, चीनी, वस्त्र

उपाबंध-2

एचएसडी	उच्च स्पीड डीज़ल
एलडीओ	हल्का डीज़ल तेल
एलएसएचएस	निम्न सल्फर भारी स्टाक
एलएसएफओ	निम्न सल्फर भट्टी तेल
सी	कोयला
बी	बायोमास
ई	विद्युत
सी/आई	आयातित कोयला
सी/एफ	भारतीय कोयला श्रेणी च
एनजी	प्राकृतिक गैस
पीएनजी	पाइप प्राकृतिक गैस
सीएनजी	संपीडित प्राकृतिक गैस
एफओ	भट्टी तेल
एलपीजी	तरलीकृत पेट्रोलियम गैस
एससीएम	मानक घन मीटर (15 <sup>0</sup> से और 1.01325 बार)
केएल	किलो लीटर
मिलियन	दस (10) लाख



**प्रकरण 2**  
**उर्जा उत्पादन सुधार के लिए प्रत्यास्थ उर्जा संपरीक्षण की सिफारिशों पर किए उर्जा के बारे**

(नियम 3(1)/(ग)देखें।)

वार्षिक उर्जा<sup>1</sup> बचत

क्र.सं. उर्जा उत्पादन सुधार उपाय - (उर्जा बचत के अधिप्राप्त स्तरों के लिए उर्जा उत्पादन सुधार के क्षेत्र के सुझाए गए प्रवर्ण - उपानव 3 देखें)

विश्लेषण दस लाख स्क्व.मी. में क्रियान्वयन न होने का कारण उपायों के पूरा होने या होने की संभावना की तारीख जीवन चक्र वर्ष

तेल गैस कोयला विद्युत अन्य

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

हस्ताक्षर

उर्जा प्रबंधक का नाम

कंपनी का नाम

पूरा पता

संबद्ध व्यक्ति

ई-मेल पता

टेलीफोन/फैक्स नंबर

संयंत्र का पता

हस्ताक्षर

प्रत्यास्थ उर्जा संपरीक्षण का नाम

प्रत्यास्थ उर्जा

मुहर

<sup>1</sup> उपाय की अवधि को प्राणकालित करें जिससे प्रथम वर्ष की उर्जा बचत के वर्ष के या बची मात्रा में उद्यम की व्यवस्था होगी।

<sup>2</sup> लिटर, कि.ग्र., टन आगान्य वगैरे भीटर केवल्युपुव या एनकेवल्युपुव जीकित वार्षिकिक युनिते और युनिते इंपदकित करें। उर्जा बचत में अनुमानित बचतता।

उपाबंध 3

उर्जा सचत के अभिप्राप्त स्थितों के लिए उर्जा दक्षता सुधार के क्षेत्र के लिए सुझाए गए प्रवर्ग

- 1 बेहतर हाउस कीपिंग उपाय
- 2 मोनिटरिंग और नियंत्रण उपस्कर या सोफ्टवेयर सुधार प्रसंस्करण का प्रतिष्ठापन
- 3 ईंधन हैडलिंग प्रणाली
- 4 भाप उत्पादन प्रणाली
- 5 भाप वितरण प्रणाली
- 6 विद्युत उत्पादन प्रणाली
- 7 गर्म पानी प्रणाली
- 8 संपीडित वायु प्रणाली
- 9 कच्चा/प्रसंस्करण जल प्रणाली
- 10 ठंडा जल प्रणाली
- 11 प्रसंस्करण शीतल/शीतलन प्रणाली
- 12 गर्म, संवातन और वातानुकूलन प्रणाली
- 13 विद्युत प्रणाली
- 14 प्रकाश प्रणाली
- 15 गलन /उष्मन /शुष्कन उपस्कर (जैसे मट्टी, हीटर, किलस, ओवन, ड्रायर्स, इवापरेटर्स, इत्यादि
- 16 उष्म परिवर्तन
- 17 पम्प, कम्प्रेसर्स, पंपे, ब्लोअर्स, पाईपिंग, अकिंटिंग
- 18 प्रसंस्करण उपकरण (जैसे प्रतिकारी, पृथक्कारक उपस्कर, द्रव्यात्मक, हैडलिंग उपस्कर, इत्यादि
- 19 ट्रांसफार्मर्स
- 20 इलेक्ट्रिक मोटर्स और ड्राईव्स
- 21 प्रसंस्करण प्रोटोगिकली
- 22 प्रसंस्करण इंटीग्रेशन
- 23 प्रसंस्करण नियंत्रण और ऑटोमेशन
- 24 अन्य गैर उपस्कर उपाय (जैसे संयंत्र प्रवाहन/अनुसूचीकरण, टैरिफ अनुसूचीकरण, इत्यादि)
- 25 प्रसंस्करण उष्म या विद्युत उत्पादन के लिए अपशिष्ट का पुनर्लाभ
- 26 पंपे, सलान पंपे जिसमें नलिका प्रणाली है रेड्रोफिटिंग, उपांतरण या परिमाण
- 27 अन्य

## प्रकार 3

## [नियम 3(2) देखें]

ऊर्जा क्षमता शुधार किञ्चित्त उपर्जा, किए गए सिनिखन और प्राप्त ऊर्जा में बचत और अन्य सिस्तरिओं के सिन्धन्धन में प्रसिद्धि के बीरे

क. कार्यन्वित्त

क्र.सं. ऊर्जा क्षमता के सुधार के  
उपाय का वर्णन

विनिधान  
(रुपए)

सत्यापित बचत  
(रु०)

सत्यापित ऊर्जा  
बचत

इकाई

ईधन

टिप्पण

1

2

3

ख. किञ्चन्धनाधीन

क्र.सं. ऊर्जा क्षमता के सुधार के  
उपाय का वर्णन

विनिधान  
(रु०)

सत्यापित बचत  
(रु०)

सत्यापित ऊर्जा  
बचत

इकाई

ईधन

किञ्चन्धन की  
प्रसिद्धि

1

2

3

हस्ताक्षर

ऊर्जा प्रबंधक का नाम

कंपनी का नाम

पूरा पता

संबद्ध व्यक्ति

ई-मेल पता

टेलीफोन/फैक्स नंबर

संयंत्र का पता

हस्ताक्षर

प्रत्यापित ऊर्जा संपरीक्षक का नाम

प्रत्यापित बीरे

मुहर

1. निर्देश के अनुसार स्तंभ "ग सं." उपयोग करें—ऊपराने के लिए उपार्कड "उ" देखें

2. प्रथम वर्ष

3. वीकिंग ऊर्जा उपयोग करें, वीकिंग बिरे पर के= 10<sup>3</sup>, एम= 10<sup>6</sup>, की= 10<sup>9</sup> किलो वीकिंग वा कवा इकाई

**MINISTRY OF POWER****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th June, 2008

**G.S.R. 486(E).**— In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of section 56 read with clause (k) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, hereby makes the following rules, namely: -

**1. Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Energy Conservation (Form and Manner and Time for Furnishing Information With Regard to Energy Consumed and Action Taken on Recommendations of Accredited Energy Auditor) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.** - (1) In these rules unless the context otherwise requires, -

- a) "Act" means the Energy Conservation Act, 2001;
- b) "Form" means the forms specified under rule 3;
- c) "year" means the financial year beginning on the 1<sup>st</sup> day of April and ending on the 31<sup>st</sup> March following;
- d) words and expression used herein and not defined, but defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Act.

**3. Form and time limit for furnishing of information by the designated consumers with regard to energy consumed and action taken on the recommendations of the accredited energy auditor.**— (1) Every designated consumer within three months of the submission of energy audit report by the accredited energy auditor shall, furnish in electronic form as well as in a hard copy, to the designated agency,-

- (a) details of information on energy consumed during the year preceding to the year for which energy audit was undertaken as verified by the accredited energy auditor, in Form 1;
- (b) details of specific energy consumption product-wise for the period referred to in clause (a), in Form 1;

- (c) details of the action taken on the recommendations made by the accredited energy auditor in the energy audit report submitted under the Act, in Form 2;

(2) Every designated consumer shall furnish to the designated agency every year, the details of progress made in consequence of the action taken by it as per clause (c) of sub-rule (1) of rule 3 together with the details of energy efficiency improvement measures implemented and consequent savings achieved in Form 3, within three months of the close of that year.

**4. Manner of furnishing Information.—** (1) Every designated consumer shall furnish the information under Rule 3 after getting the same authenticated by its energy manager appointed or designated in terms of notification number S.O.318(E), dated the 2<sup>nd</sup> March, 2007.

(2) The information under sub-rule (1) shall be strictly in accordance with the energy audit report of the accredited energy auditor.

[F.No. 10/15/07-BC]

DEVENDER SINGH, J. Secy.

## Form 1

**Details of energy consumed  
and specific energy consumption, product-wise, based on verified data  
[See rule 3(1)(a) and (b)]**

<b>1</b>	Name of the Unit					
<b>2</b>	The sector in which unit falls (Refer Annexure-I)					
<b>3 (a)</b>	Complete address of Unit's location (including Chief Executive's name and designation) with mobile, telephone, fax nos. and e-mail.					
<b>(b)</b>	Year of establishment					
<b>4</b>	Registered office address with telephone, fax numbers and e-mail					
<b>5</b>	Name, designation, address, mobile, telephone, fax numbers and e-mail of energy manager					
<b>6</b>	<b>Production and capacity utilisation details</b>					
<b>Year</b>	<b>Main products</b>	<b>Units (Please specify)</b>	<b>Installed capacity (a)</b>	<b>Actual production (b)</b>	<b>% Capacity utilisation (b/a) x 100</b>	<b>Specific energy consumption</b>
	Product 1 Product 2 Other products					
200-200						
				<b>Year 200 - 200</b>		
<b>7.0</b>	<b>Energy consumption and cost</b>					
<b>7.1</b>	<b>Electricity consumption and cost</b>					
<b>(A)</b>	<b>Purchased electricity</b>					
<b>(i)</b>	Units (Millions kWh/year)					
<b>(ii)</b>	Total cost (Rs. Millions/year)					
<b>(iii)</b>	Plant connected load (kW)					
<b>(iv)</b>	Contract demand (kVA) with utility					
<b>(v)</b>	Connected load (kW)					
<b>(B)</b>	<b>Own Generation</b>					
<b>(a)</b>	<b>Through Diesel Generating sets</b>					
<b>(i)</b>	Annual generation (Millions kWh/ year)					
<b>(ii)</b>	Total cost (Rs. Million/ year)					
<b>(iii)</b>	Fuel used (HSD/LDO/LSHS/LSFO –(Refer annexure 2)					
<b>(iv)</b>	Gross calorific value (kCal/kg)					
<b>(v)</b>	Annual fuel consumption (tonne)					
<b>(vi)</b>	Total annual fuel cost (Rs. Million)					

		Year 200 - 200
(b)	Through steam turbine/ generator	
(i)	Annual generation (Millions kWh/ year)	
(ii)	Fuel used state which type of fuel was used (C=coal, B=biomass, E=electricity). If coal was used, state which grade i.e., C/I=imported or C/F=Coal of grade F	
(c)	Through gas turbine	
(i)	Annual generation (Millions kWh/ year)	
(ii)	Fuel used (state which type of fuel was used Natural Gas (NG), Piped Natural Gas (PNG), Compressed Natural Gas (CNG), Naptha)	
(iii)	Gross calorific value (kCal/SCM)	
(iv)	Annual fuel consumption (SCM)	
(v)	Total annual fuel cost (Rs. Million)	
(C)	Total generation of electricity (Millions kWh/ year) 7.1 (B) [a(i)+b(i)+c(i)]	
(D)	Electricity supplied to the grid/ others (specify (Millions kWh/ year)	
(E)	Total Electricity consumed (Millions kWh/year) 7.1 [A(i) +C-D]	
7.2	Fuel consumption and % cost for process heating	
(A)	Coal	
(i)	Gross calorific value (kCal/kg)	
(ii)	Quantity purchased (tonne/ year)	
(iii)	Quantity used for power generation (tonne/year)	
(iv)	Quantity used as raw material, if any (tonne/year)	
(v)	Quantity used for process heating (tonne/year)	
(vi)	Total coal cost for process (Rs. Million/year)	
(B)	Lignite	
(i)	Gross calorific value (kCal/kg)	
(ii)	Quantity purchased (tonne/year)	
(iii)	Quantity used for power generation (tonne/year)	
(iv)	Quantity used as raw material, if any (tonne/year)	
(v)	Quantity used for process heating (tonne/year)	
(vi)	Total lignite cost for process (Rs. Million/year)	

		Year 200 - 200
<b>(C)</b>	<b>Bio mass Other purchased solid fuels (please specify) bagasse, rice husk, etc.</b>	
(i)	Average moisture content as fired (%)	
(ii)	Average gross calorific value as fired (kcal/kg)	
(iii)	Quantity purchased (tonne/year)	
(iv)	Quantity used as raw material, if any (tonne/year)	
(v)	Quantity used for process heating (tonne/ year)	
(vi)	Total baggase cost for process (Rs. Million/year)	
<b>7.3</b>	<b>Liquid</b>	
<b>(A)</b>	<b>Furnace Oil(F.O.)</b>	
(i)	Gross calorific value (kCal/kg)	
(ii)	Quantity purchased (kL/ year)	
(iii)	Quantity used for power generation (kL/ year)	
(iv)	Quantity used as raw material, if any (kL/ year)	
(v)	Quantity used for process heating (kL/ year)	
(vi)	Total F.O. cost for process heating (Rs. Million/year)	
<b>(B)</b>	<b>Low Sulphur Heavy Stock (LSHS)</b>	
(i)	Gross calorific value (kCal/kg)	
(ii)	Quantity purchased (tonne/year)	
(iii)	Quantity used for power generation (tonne/year)	
(iv)	Quantity used as raw material, if any (tonne/year)	
(v)	Quantity used for process heating (tonne/year)	
(vi)	Total LSHS Cost for process heating (Rs. Million/year)	
<b>(C)</b>	<b>High Sulphur Heavy Stock (HSHS)</b>	
(i)	Gross calorific value (kCal/kg)	
(ii)	Quantity purchased (tonnes/year)	
(iii)	Quantity used for power generation (tonne/year)	
(iv)	Quantity used as raw material, if any (tonne/year)	
(v)	Quantity used for process heating (tonne/year)	
(vi)	Total HSHS cost for process heating (Rs. Million/year)	



		Year 200 - 200
<b>(D)</b>	<b>Diesel Oil</b>	
<b>(a)</b>	<b>High Speed Diesel (HSD)</b>	
(i)	Gross calorific value (kCal/kg)	
(ii)	Quantity purchased (kL/year)	
(iii)	Quantity used for power generation (tonne/year)	
(iv)	Quantity used as raw material, if any (kL/year)	
(v)	Quantity used for process heating (kL/year)	
(vi)	Total HSD cost for process heating (Rs. Million/year)	
<b>(b)</b>	<b>Light Diesel Oil (LDO)</b>	
(i)	Gross calorific value (kCal/kg)	
(ii)	Quantity purchased (kL/year)	
(iii)	Quantity used for power generation (kL/year)	
(iv)	Quantity used as raw material, if any (kL/year)	
(v)	Quantity used for process heating (kL/year)	
(vi)	Total LDO cost for process heating (Rs. Million/year)	
<b>7.4</b>	<b>Gas</b>	
<b>(A)</b>	<b>Compressed Natural Gas (CNG)</b>	
(i)	Gross calorific value (kCal/SCM)	
(ii)	Quantity purchased (million SCM/year)	
(iii)	Quantity used for power generation (million SCM/year)	
(iv)	Quantity used as raw material, if any (million SCM/year)	
(v)	Quantity used for process heating (million SCM/year)	
(vi)	Total cost of natural gas for process heating (Rs. Million/year)	
<b>(B)</b>	<b>Liquefied Petroleum Gas (LPG)</b>	
(i)	Gross calorific value (kCal/SCM)	
(ii)	Quantity purchased (million SCM/year)	
(iii)	Quantity used for power generation (million SCM/year)	
(iv)	Quantity used as raw material, if any (million SCM/year)	
(v)	Quantity used for process heating (million SCM/year)	
(vi)	Total cost of LPG for process heating (Rs. Million/year)	

2475 GI/08-3

		Year 200 - 200
<b>(C)</b>	<b>Gas generated as by product/ waste in the plant and used as fuel</b>	
(i)	Name	
(ii)	Gross calorific value (kCal/SCM)	
(iii)	Quantity used for process heating (million SCM/year)	
(iv)	Total cost of byproduct gas for process heating (Rs. Million/year)	
<b>7.5</b>	<b>Solid waste</b>	
	<b>Solid waste generated in the plant and used as fuel</b>	
(i)	Name	
(ii)	Gross calorific value (kCal/kg)	
(iii)	Quantity used for process heating (tonne/year)	
(iv)	Total cost of solid waste for process heating (Rs. Million/year)	
<b>7.6</b>	<b>Liquid waste</b>	
<b>(A)</b>	<b>Liquid effluent/ waste generated in the plant and used as fuel</b>	
(i)	Name	
(ii)	Gross calorific value (kCal/kg)	
(iii)	Quantity used for process heating (tonne/year)	
(iv)	Total cost of liquid effluent for process heating (Rs. Million/year)	
<b>7.7</b>	<b>Others</b>	
(i)	Name	
(ii)	Average gross calorific value (kCal/ton)	
(iii)	Quantity used for power generation (tonnes/year)	
(iv)	Quantity used for process heat (tonnes/year)	
(v)	Annual cost of the others source	

Signature  
Name of the energy manager,  
Name of the company  
Full address  
Seal

Signature  
Name of the accredited energy auditor  
Accreditation details  
Seal

**Annexure 1 - Name of sectors**

Aluminium, cement, chemicals, chlor-alkali, fertilizers, gas crackers, iron and steel, naphtha crackers, pulp and paper, petrochemicals, petroleum refineries, sugar, textile.

**Annexure 2**

HSD	High Speed Diesel
LDO	Light Diesel Oil
LSHS	Low Sulphur Heavy Stock
LSFO	Low Sulphur Furnace Oil
C	Coal
B	Biomass
E	Electricity
CI	Coal Imported
C/F	Indian Coal grade F
NG	Natural Gas
PNG	Piped Natural Gas
CNG	Compressed Natural Gas
FO	Furnace Oil
LPG	Liquefied Petroleum Gas
SCM	Standard Cubic Metre (15°C and 1.01325 bar)
KL	Kilo Litre
Million	Ten (10) lakh

**Form 2**  
**Details of action taken on recommendations of accredited energy auditor for improving energy efficiency**  
 [See rule 3(1)(c)]

Sl. No.	Energy efficiency improvement measures – (Suggested categories of areas of energy efficiency improvement for obtaining details of energy savings –See Annexure 3)	Investment Millions Rupees	Reasons for not implementing the measure	Date of completion of measure/ likely completion	Life cycle years <sup>1</sup>	Annual energy <sup>2</sup> savings				
						Oil	Gas	Coal	Electricity	Other
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

Signature \_\_\_\_\_  
 Name of the energy manager \_\_\_\_\_  
 Name of the company \_\_\_\_\_  
 Full address \_\_\_\_\_  
 Contact person \_\_\_\_\_  
 Email address \_\_\_\_\_  
 Telephone/ Fax numbers \_\_\_\_\_  
 Plant address \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_  
 Name of the accredited energy auditor \_\_\_\_\_  
 Accreditation details \_\_\_\_\_  
 Seal \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Estimate the predicted life of the measure, meaning the number of years the level of first year energy savings or even larger amounts will materialise.  
<sup>2</sup> Life commercial units of litre, kg, tonnes, normal cubic meter, kWh or MWh and indicate the unit. Indicate the anticipated potential in energy savings.

## Annexure 3

**Suggested categories of areas of energy efficiency improvement  
for obtaining details of energy savings**

1. Better house keeping measures
2. Installation of improved process monitoring and control instrumentation, or software
3. Fuel Handling System
4. Steam Generation System
5. Steam Distribution System
6. Electricity Generation System
7. Hot Water System
8. Compressed Air System
9. Raw/ Process Water System
10. Cooling Water System
11. Process Cooling/ Refrigeration System
12. Heating, Ventilation and Air Conditioning System
13. Electrical System
14. Lighting System
15. Melting/ Heating/ Drying Equipment (e.g. Furnaces, Heaters, Kilns, Ovens, Dryers, Evaporators, etc.)
16. Heat Exchangers
17. Pumps, Compressors, Fans, Blowers, Piping, Ducting
18. Process Equipment (e.g.) Reactors, Separation Equipment, Material, Handling Equipment, etc.)
19. Transformers
20. Electric Motors and Drives
21. Process Technology
22. Process Integration
23. Process Control and Automation
24. Other Non-equipment Measures (e.g. Plant Operation/ Scheduling, Tariff Schedule, etc.)
25. Recovery of waste heat for process heat or power generation
26. Retrofitting, modification or sizing of fans, blowers, pumps, including duct systems
27. Other

**Form 3**  
[See rule 3(2)]

**Details of energy efficiency improvement measures implemented, investment made and savings in energy achieved and progress made in the implementation of other recommendations.**

**A. Implemented:**

Sl. No.	Description of energy efficiency improvement measure	Category <sup>3</sup>	Investment (Rupees)	Verified savings <sup>4</sup> (Rupees)	Verified energy savings	Units <sup>5</sup>	Fuel	Remarks
1								
2								
3								

**B. Under implementation:**

Sl. No.	Description of energy efficiency improvement measure	Category	Investment (Rupees) estimated	Verified savings (Rupees) estimated	Verified energy savings estimated	Units	Fuel	Status of implementation
1								
2								
3								

Signature  
Name of the energy manager  
Name of the company  
Full address  
Contact person  
Email address  
Telephone/ Fax numbers  
Plant address

Signature  
Name of the accredited energy auditor  
Accreditation details  
Seal

<sup>3</sup> Use 'C. No.' column of form 2 as reference -- See Annexure "3" for adoption

<sup>4</sup> First year

<sup>5</sup> Use conventional energy, volume or mass units with proper prefix  $k = 10^3$ ,  $M = 10^6$ ,  $G = 10^9$